कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

सूचना का अधिकार

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

सिंगरौली, दिनांक 08-11-2023

क्र0 / मा0चि0 / 5801

प्रति,

महाप्रबंधक
म0प्र0 जल निगम
मर्यादित परि.कि.ई सिंगरौली

विषयः– सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 1.8062 हे0 वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 3.1109 हे0) मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। (Proposal No. FP/MP/WATER/151540/2022)

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MBP057/2023-BHO दिनांक 22.10.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पृष्ठा. क्रमांक / एफ–5 / 1307 / 2023 / 10–11 / 4756 भोपाल, दिनांक 26.10.2023

—000—

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (1) से गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली में प्रभावित रकवा 1.8062 हे0 वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 3.1109 हे0) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र बरगवां का कक्ष क्रमांक RF 237, 238 एवं वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई का कक्ष क्र0 RF 720, 721 एवं PF 659, 653, 730 वनभूमि कुल रकवा 1.8062 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	मद का नाम	रकवा (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	1.8062	22,85,423 / –	–	22,85,423 / –
			22,85,423 / –	–	**22,85,423 / –**

3. क्षतिपूर्ती वनीकरण रकवा 1.8062 हे0 (out of 67.30 हे0) की राशि, प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151345/2022 से जमा करने हेतु लेख किया गया है। एवं एन.पी.व्ही. की राशि रू. 22,85,423 / –(रू. बाईस लाख पचासी हजार चार सौ तेईस मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

4. प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण / नामांतरण, फार्म पी–2, कब्जा रसीद की प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर सिंगरौली के प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

letter to HO for budget demand
Pandey

महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्या. सिंगरौली (म.प्र.)
आवक क्र. 2058
दिनांक 09/11/23
सहपत्र........

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
7/11/2023

F:\ARPIT DOCS\PIPE LINE (NAL JAL)\67.30 hectare proposal\Gond Deosar\151540 gond deosar\memo.docx

सिंगरौली दिनांक 08-11-2023

पृं0क्र0 / मा0चि0 / 5802

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

F:\ARPIT DOCS\PIPE LINE (NAL JAL)\67.30 hectare proposal\Gond Deosar\151540 gond deosar\memo.docx